नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2017

अधिसूचना

सं. 8/2017-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(76). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, माल या सेवाओं या दोनों की, राज्य के भीतर पूर्ति को उक्त छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय राज्य कर से छूट प्रदान करती है :

परंतु उक्त छूट वहां लागू नहीं होगी, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का समग्र मूल्य, ऐसे किसी या सभी पूर्तिकारों से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है या नहीं हैं, एक दिन में पांच हजार रुपए से अधिक है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2017

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(76). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(76), दिनांक 28-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th June 2017

NOTIFICATION

No. 8/2017-State Tax (Rate)

No. F-10-43/2017/CT/V (76). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgsarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods or services or both received by a registered person from any supplier, who is not registered, from the whole of the state tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the Chhattisgsarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017):

Provided that the said exemption shall not be applicable where the aggregate value of such supplies of goods or service or both received by a registered person from any or all the suppliers, who is or are not registered, exceeds five thousand rupees in a day.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.